न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00186

रामलाल आत्मज कंवर लाल जाति बैनरवा निवासी डडवाडा हाल निवासी महावीरपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. साहबलाल आत्मज औंकार जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ ।
2. सोभाग आत्मज औंकार जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ ।
3. रमेश आत्मज औंकार जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ ।
4. औंकार आत्मज शंकर लाल जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ ।
5. सीताराम आत्मज शंकर लाल जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ ।
6. श्राज0 सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 24.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 (ख) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 466 रकबा 2.31

हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम खाते में दर्ज है । प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर काश्तकारी का कार्य करने में असमर्थ होने से उक्त भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 को आधौली पर काश्त करने हेतु करीब 06 वर्ष पूर्व दी गई । अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 मौखिक इकरार के अनुसार आधौली पर काश्त करते रहे परन्तु अब उनके मन में बदयान्ति आ गई जिसके कारण उन्होंने प्रार्थी को उपज का हिस्सा देना बन्द कर दिया । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करने के लिए कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया । अप्रार्थीगण को प्रार्थी की सहमति के बिना वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अवैध रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को न्यायहित में रिसीवर नियुक्त कराना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार इन्द्रगढ को रिसीवर नियुक्त किया जावे । यदि रिसीवर नियुक्त किया जाना संभव नहीं हो तो विकल्प में वादग्रस्त आराजी पर 5000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि कराने जमा करवाये जाने हेतु अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.12.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं । प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने अथवा नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने हेतु निवेदन किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । प्रार्थी अपीलान्ट अनुसूचित जाति से है जबकि रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जनजाति अर्थात मीणा हैं । अनुसूचित जाति के काश्तकार की भूमि पर अनुसूचित जनजाति का कब्जा अतिचारी का कब्जा माना जाता है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के वे खतेदार कृषक हैं । अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति के

सदस्य हैं जिन्हें अपीलान्ट की आराजी पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का कब्जा बहैसितय अतिक्रमी है । इस कारण रिसीवर नियुक्त किया जाना एवं नगद प्रतिभूति का आदेश दिया जाना उचित था । न्यायालय अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी बिना रिसीवर नियुक्त किये भी नगद प्रतिभूति का आदेश दे सकते हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 76, आरएलडब्ल्यू 2018 (1) (राज0) पेज 454, आरएलडब्ल्यू 2010 (1) पेज 79, डीएनजे 2014 (1) पेज 152, आरआरडी 2011 पेज 486 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है वरन् इस पर कब्जा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट का अपने पूर्वजों के समय से है । अप्रार्थीगण के पिता के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही चली थी । सीलिंग सरप्लस भूमि का आवंटन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही किया जा सकता है, आवंटन विधि–विरूद्ध होने से शून्य है । कभी भी रेस्पोडेन्टगण से अपीलान्ट ने कब्जा नहीं लिया गया है । नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसेडिंग होती है जो पक्षकारों के अधिकार एवं स्वतव तय नहीं करती है । अपीलान्ट ने एक दावा संख्या 23/05 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । इस दावे को अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानते हुए सन् 2006 में खारिज किया गया था । इसमें अपीलान्ट ने स्वयं सशपथ बयान किया था कि उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । अब उसकी कानूनन कब्जा प्राप्त करने की अवधि निकल चुकी है । उसके खातेदारी अधिकार भी धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं । सीलिंग की अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश की है जो जैरकार है । आराजी इनमिडियो नहीं है इसलिए रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । रिसीवर नियुक्त किया जाना एक कठोरतम व्याधि है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2015 (2) पेज 1376, सीजे सिविल (राज0) 2019 पेज 706, आरआरडी 19923 पेज 504 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में फर्द के साथ उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 22.02.2006 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार रामलाल का दावा अन्तर्गत धारा 188 खारिज किया गया है । इसके अलावा सीलिंग की अपील जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित है की आदेशिका दिनांक 22.12.2006 की प्रति भी संलग्न की गई है । पत्रावली पर एक फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 466 रकाब 2.13 हैक्टर रामलाल के खाते में दर्ज है । इसके अलावा नक्शा ट्रेस एवं खसरा गिरदावरी की प्रतियॉ भी संलग्न हैं ।

11. इस प्रकार पत्रावली जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट के द्वारा इस आराजी के बाबत् परीक्षण न्यायालय में एक दावा

अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 पेश कर धारा 212 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिसीवर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है और विकल्प में नगद प्रतिभूति की प्रार्थना की है । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके खाते की थी जो सीलिंग सरप्लस होने के बाद त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलान्ट को आवंटित की गई है जबकि अनुसूचित जनजाति की आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती और सीलिंग की कार्यवाही के खिलाफ उनकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित है । उनका यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी अपीलान्ट का कब्जा नहीं रहा है उनका धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा खारिज हो चुका है और काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं है । इस क्रम में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा जो नजीर उद्धरत की गई हैं उसमें आरआरडी 1995 पेज 76 में माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की फुल बैंच के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना रिसीवर नियुक्त किये एवं बिना अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है । आरएलडब्ल्यू 2018 (1) पेज 454 एवं आरएलडब्ल्यू 2010 (1) पेज 79 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । इसी प्रकार डीएनजे 2014 (1) (राज0) पेज 152 भी चस्पा होती है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट हैं तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में पाया जाता है । अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी जिसके अपीलान्ट खातेदार कृषक हैं पर कब्जा बनाये रखने हेतु हम रेस्पोडेन्ट को नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । जहॉ तक दावा वादी अवधि बाधित होने का प्रश्न है यह मूल दावे में साक्ष्य से तय होगा इस स्टेज पर नहीं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2017 निरस्त किया जाता है । यदि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट कब्जा बनाये रखना चाहते हैं तो 2000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से ताफैसला दावा नगदप्रतिभूति राशि तहसीलदार, इन्द्रगढ के कार्यालय में जमा करावे । इस वर्ष यह राशि निर्णय के दिनांक से 02 माह के अन्दर जमा कराने पर कब्जा बनाये रख सकते हैं । इसके उपरान्त प्रतिवर्ष कृषिवर्ष प्रारम्भ होने के माह के भीतर नगद प्रतिभूति की राशि जमा की जावे । यदि रेस्पोडेन्ट उक्त अवधि में नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने में असमर्थ रहते हैं तो तहसीलदार, इन्द्रगढ वादग्रस्त आराजी को अपने कब्जे राज में लेकर उक्त भूमि पर नीलामी द्वारा काश्त कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा